

22.09.17

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर म0प्र0

250



श्री विष्णु लाल निवासी  
असवारी तहसील शहडोल

III/मिगरानी/शहडोल/शु.रा/2017/3236

अधीन  
कायालय क्रमिक  
शहडोल 21

शहडोल

- 3- राम सिंह गोड़ आयु 55 वर्ष पिता मंधा सिंह गोड़
  - 4- तीरथ सिंह गोड़ आयु 70 वर्ष पिता मंधा सिंह गोड़
  - 5- दोनों निवासी ग्राम दियापीपर, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म0प्र0)
  - 6- कुवर सिंह गोड़ आयु 50 वर्ष पिता धीरन सिंह गोड़
  - 7- कुशल यादव आयु 50 वर्ष पिता रामभगत यादव
  - 8- हरि प्रसाद यादव आयु 55 वर्ष पिता बदईया यादव
  - 9- सोभनाथ यादव आयु 70 वर्ष पिता भक्खू यादव
  - 10- बैजनाथ यादव आयु 65 वर्ष पिता भक्खू यादव
- सभी निवासी ग्राम असवारी, तहसील गोहपारू जिला शहडोल (म0प्र0)

— पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

1. श्रीमती आर0टोप्यो पत्नी ए0बी0 टोप्यो निवासी पाण्डवनगर, शहडोल, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल (म0प्र0)

2. म0प्र0शासन — उत्तरार्थीगण

पुनरीक्षण, विरुद्ध राजस्व निरीक्षक मंडल गोहपारू, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल द्वारा प्रकरण क्र0 19/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 30.04.17 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 ग0प्र0गू0रा0रां01959

मान्यवर,

उपरोक्त पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर विनय करते हैं :-





श्रीमान् राजस्व मंडल  
 श्रीमान् राजस्व मंडल  
 श्रीमान् राजस्व मंडल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक - निग.3236-तीन/2017

जिला- शहडोल

रामसिंह गोड़ आदि विरुद्ध श्रीमती आर.टोप्पो व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल गोहपारू, तहसील गोहपारू जिला-शहडोल के प्र.क्र. 19/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-04-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के.जैन) 11.01.19 सदस्य</p>